न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक–31.08.2015

अपील सं. 05/2015
जीएमएस नं. –2024/137

बीरबल पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

– अपीलान्ट

बनाम

1. बुजाराम उर्फ बजरंगलाल पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी ग्राम कोलसिया
3. सरपंच ,ग्राम पंचायत कोलसिया,पंचायत समिति नवलगढ , तहसील नवलगढ

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री आन्नदीलाल सैनी
वकील रेस्पोडेन्ट :– अनुपस्थित

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत कोलसिया द्वारा नामान्तकरण सं. 1881 दिनांक 20.08.2015 अ0 धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 18.10.2024

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 742 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 744 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 745 रकबा 3.54 है0 का उनवानी मुकदमा घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा का उनवानी बीरबल बनाम बुजाराम मुकदमा नं. 179/2010 तथा प्रा. पत्र अस्थाई निषेधज्ञा का 111/2010 माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है।

प्रा.पत्र अस्थाई निषेधज्ञा मु.नं. 111/2010 में स्टे है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है जिसकी उसको पूर्ण जानकारी थी। बावजूद स्टे की जानकारी के होते हुये भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनाक 11.08.2015 को करवा दिया और 1/24 हिस्से की खातेदारी का नामान्तकरण सं. 1881 पटवारी हल्का कोलसिया से स्थगन के बावजूद दर्ज करवा लिया, जिसको ग्राम पंचायत कोलसिया द्वारा बाला–बाला बिना कोई जांच किये ही दिनांक 20.08.2015 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तकरण सं. 1881 दिनांक 20.08.2015 से व्यथित होने से यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखत आधारों पर प्रस्तुत की है।

1. ग्राम पंचायत कोलसिया का निर्णय दिनांक 20.08.2015 विधि विरूद्व व सिद्वातों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

2. यह कि नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व भूमि ख.नं. 742,744,745 वाके ग्राम कोलसिया मे स्थित बाबत् पटवारी हल्का से मौके की कब्जे व काश्त बाबत् कोई रिपोर्ट नही मांगी गई है जबकि नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मौके की कब्जे काश्त बाबत् रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवाई जाती है इसलिये यह नामान्तकरण खारिज योग्य है।
3. बिनो पक्षकारों को नोटिस दिये नामान्तकरण का आदेश किया है जो खारिज योग्य है।
4. भूमि पर स्थगन होने की जानकारी के बावजूद नामा. भरा गया है जो खारिज योग्य है।
5. नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश करने से पूर्व पंचो से कब्जे व काश्त की पुछताछ की जाती है जो नही की गई है इसलिये खारिज योग्य है।
6. नामान्तकरण आदेश प्रिजूडिस होकर किया है जो गलत है इसलिये खारिज योग्य है।
7. नामान्तकरण आदेश मिलिभगत कर त्रुटीपूर्ण पारित किया है जो खारिज योग्य है।
8. प्राकृति न्याय के सिद्वात के विपरित है इसलिये खारिज योग्य है।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि, अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामा. सं. 1881 दिनांक 20.08.2015 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद स्मयक तामील अनुपस्थित रहे है। बहस अपील एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि, ग्राम पंचायत कोलसिया द्वारा अपीलाधीन उक्त आदेश पारित करते समय उक्त अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है। न ही किसी प्रकार से प्रोपर नोटिस/सूचना दी गई। ग्राम पंचायत कोलसिया द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय किसी प्रकार के स्थगन होने अथवा मौके की जॉच इत्यादी भी नही करवाई है। विवादित भूमि पर मौके एंव रिकार्ड के स्थगन के बावजूद प्रथम दृष्ट्या ही विधि विरूद्व नामान्तकरण का आदेश पारित किया गया है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत कोलसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 बाबत् नामान्तकरण सं. 1881 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, यदि विवादित उक्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो,उक्त सम्बन्ध में सभी आवश्यक पक्षकारों कि विधिवत जॉच व सुनवाई कर तथा बाद जांच व सुनवाई विधिसम्मत पाये जाने पर ही नामान्तकरण भरा जावे तथा तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner